



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092024-257491  
CG-DL-E-25092024-257491

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3857]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 25, 2024/अश्विन 3, 1946

No. 3857]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 25, 2024/ASVINA 3, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2024

का.आ. 4215(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 27.03.2024 की अधिसूचना का.आ. 1574(अ) के तहत अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले में नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को 01.04.2024 से छः माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और जबकि, अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

अब, इसलिए, अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग एवं लांगडिंग जिलों तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसई जिले के नामसई, महादेवपुर एवं चौखम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2024 से छः माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है।

[फा. सं.11011/104/2015-एन.ई.-V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th September, 2024

**S.O. 4215(E).**—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam as ‘disturbed area’ with effect from 01.04.2024 vide Notification S.O.1574(E) dated 27.03.2024.

And whereas a further review of the law and order situation in the state of Arunachal Pradesh has been undertaken.

Now, therefore, Tirap, Changlang and Longding districts in Arunachal Pradesh and the areas falling within the jurisdiction of Namsai, Mahadevpur and Chowkham police stations in Namsai district of Arunachal Pradesh, bordering the State of Assam, are declared as ‘disturbed area’ under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.10.2024, unless withdrawn earlier.

[F. No.11011/104/2015-NE.V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.